प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 13 मई, 2016**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-362/एफ-32/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2016-17, दिनांक-05.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 5,04,17,00,000.00 (रूपये पॉच अरब चार करोड, सत्रह लाख मात्र) में प्राविधानित केन्द्रांश रू0 3,02,50,20,000.00 (रूपये तीन अरब दो करोड़ पचास लाख बीस हजार मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र संख्या-पी-17017/1/2016-आर0सी0 (पार्ट) (ई-एफ0एम0एस0 नं0 348257) दिनांक-25.04.2016 द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रांश की धनराशि रू0 1,91,22,00,000.00 (रूपये एक अरब इक्यानबे करोड़ बाईस लाख मात्र) में से प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष में शासनादेश संख्या-17/2016/पी-326/अड़तीस-9-2016-05(बजट)/15, दिनांक-28.04.2016 द्वारा केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में निर्गत धनराशि रू0 1,26,04,25,000.00 (रूपये एक अरब छब्बीस करोड़ चार लाख पच्चीस हजार मात्र) में अन्तर्निहित केन्द्रांश रू0 75,62,55,000.00 (रूपये पचहत्तर करोड़ बासठ लाख पचपन हजार मात्र) को समायोजित/ऋणात्मक करते हुये अवशेष धनराशि रू0 1,15,59,45,000.00 (रूपये एक अरब पन्द्रह करोड़ उनसठ लाख पैंतालिस हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1)- धनराशि जिन मदो के लिये स्वीकृत की जा रही है, व्यय उसी मदों में किया जायेगा, अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जायेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। किसी मद में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।

(3)- व्यय धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5)- उक्त धनराशि को एक मुश्त आहरित कर उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण के नाम से स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ में खुले बचत बैंक खाता संख्या-10616665805 में तत्काल जमा किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व संगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) -24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

<u>संख्या-28/2016/ पी-346 (1)/अड़तीस-9-2016, तद दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-</u>

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- निदेशक (आर0सी0), ग्रामीण संपर्क मार्ग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।